न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए./4335/2003/जैसलमेर

1.श्री चनणाराम
2 श्री अमृतलाल — पुत्रगण स्व0 श्री बालकिशन
3. श्री दलूराम
4. श्री जेठाराम
5. मु0 किस्तुरी बेवा स्व0 श्री बालकिशन
सभी जाति माली निवासी ग्राम पुरोहितसर, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

चम्पालाल पुत्र श्यामाराम माली निवासी ग्राम पुरोहितसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ

श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः

श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री वी.एस.राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 10.7.18

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–7–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध सहायक कलेक्टर, पोकरण के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा लाम्बा में स्थित आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम वादी के पिता बालकिशन की खातेदारी की थी जिनका देहान्त हो गया वादीगण उसके जायज वारिस है । उक्त खातेदारी से लगती हुई भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा जो वाद के साथ संलग्न नक्शा A B C D का भाग बताया है। उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी खसरा नंबर 116 का ही भाग है जिस पर वादीगण के पिता काबिज काश्त है लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी जो गलत है । अतः अपीलाण्ट/वादी को खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त अंकन किए जाने का निवेदन किया । उक्त वाद का रेस्पोडण्ेट/प्रतिवादी ने इकबाली जबावदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया । सहायक कलेक्टर ने वाद व इकबाली जबावदावे के आधार पर दिनांक 25–8–83 को वाद डिक्री कर दिया जिसकी पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर उनका नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया । उक्त डिक्री के 19 वर्ष पश्चात रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–7–2003 द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए सहायक कलेक्टर, पोकरण के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया ।

सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 25–8–83 में वाद व इकबाली जबावदावे के आधार पर दिनांक 25–8–83 को वाद डिक्री कर आदेश दिया था कि मौजा लाम्बा के खेत खसरा नंबर92 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा जो वाद के साथ संलग्न नक्शा A B C D का भाग बताया है की खातेदारी मुदईयान के नाम घोषित की जाती है और राजस्व रिकार्ड में यह भूमि मुदायला के नाम से हटाया जाकर मुदईयान के नाम अमलदरामद किया जावे ।

उक्त निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के न्यायालय में किए जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30-7-2003 में आदेशित किया है कि प्रतिवादी के नाम कोई सम्मन वाद पेश होने के बाद तामील होना नहीं पाया जाता है । प्रतिवादी ने इकबाली जबाव पेश करने से इंकार किया है एवं उसके द्वारा उम्मेदसिंह को वकील भी नहीं करना बताया है । वकालतनामा पर प्रतिवादी ने अंगूठा निशानी लगायी हुई है किन्तु इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट का अंगूठा निशान नहीं होकर हस्ताक्षर किए हुए हैं जिससे प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता हे कि प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय में कोई तामील ही नहीं हुई है एवं जो इकबाली जबाव मय वकालतनामा देना बताया है वह संदेहजनक लगता है । यदि इकबालिया जबाव एवं वकालतनामा को सही मान लिया जावे तब भी अधीनस्थ न्यायालय को वाद डिक्री करने से पूर्व समस्त साक्ष्य सबूत लेकर कर ही दावा डिक्री करना चाहिए था । सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी के नाम भूमि दर्ज करने के बारे में ऐसा कोई सबूत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2037-40 से भी यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण की थी जिसको सेटलमेट विभाग द्वारा प्रतिवादी के नाम अंकित कर दी । केवल मात्र इकबाली जबाव को आधार मानकर दावा डिक्री किया है जो प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है। । इकबाली जबाव के आधार पर दावा डिक्री किया जाना उचित नहीं है । ऐसे मामले में सेटलमेंट के पूर्व के इन्द्राज क्या है के बाबत जांच की जानी चाहिए । प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि का आवंटन सन् 1975 में होना बताया है यदि यह भूमि पूर्व में राजकीय थी तो ऐसे मामले में प्रतिवादी को आवंटित होना एवं सेटलमेंट की गलती से अपीलाण्ट/वादी के नाम दर्ज होना ही कथन विपरीत है । इन सब तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कथन है कि प्रतिवादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इकबाली जबावदावा प्रस्तुत किया था । इकबाली जबावदावे के आधार पर दिनांक 25-8-83 को दावा डिक्री किया गया था । इस निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष सन् 2002 में की गई लगभग 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई थी । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 12 नियम 6 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहाँ अभिवचन में या अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है वहां न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा जो प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

5. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इकबाली जबावदावे के आधार पर दावा डिक्री किया है जबकि प्रतिवादीगण को नोटिस ही तामील नहीं हुए है । जब नोटिस ही तामील नहीं हुए है तो वह जबाव किस प्रकार देते । प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि दोनों पक्षकारों को सुनकर के ही निर्णय किया जाना चाहिए । पत्रावली में सम्मन संलग्न ही नही हैं राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय सही है ।

जहां तक मियाद का प्रश्न है मियाद जानकारी होने की दिनांक से ही मानी जाती है जब प्रकरण में जानकारी ही देरी से हुई तभी उनके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधिसममत है । अतःअपील खारिज की जावे ।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18–6–83 को प्रस्तुत दावे में प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिए गए किन्तु नोटिस की प्रति न्यायालय की पत्रावली में सलग्न नहीं है । न्यायालय की आदेशिका दिनांक 5–8–83 में प्रतिवादी को गैरहाहिर होना बताया है जब कि सम्मन जारी दिनांक 1–8–83 को होना अंकित किया है । उसे सम्मन तामील हुए अथवा अदम तकमील प्राप्त हुए यह कहीं भी आदेशिका में अंकित नहीं किया हुआ है । दिनांक 25–8–83 को प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा व इकबाली जबावदावा प्रसतुत कियाहै जिस पर प्रतिवादी चम्पालाल के अंगूठा निशानी लगी हुई है एवं इसी दिनांक को निर्णय लिखाया गया है । राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में जो प्रतिवादी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई उसमें प्रतिवादी ने अंगूठा निशान नहीं करके हस्ताक्षर किए हुए है।

8. जहां तक मियाद का प्रश्न है अपीलीय न्यायालय ने जानकारी से प्रकरण को अन्दर मियाद होना मानते हुए अपना निर्णय पारित किया है सर्वप्रथम इकबाली जबाव भी संदेहपूर्ण है । प्रतिवादी को नोटिस जारी होना भी नहीं पाया जाता है । दिनांक 1–8–83 को सम्मन जारी होना बताया गया है एवं दिनांक 5–8–83 को प्रतिवादी की गैरहाजिरी बतायी गई है । प्रस्तुत दावे मे यह बताया गया है कि खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि जो वाद के साथ संलग्न नक्शा A B C D का भाग बताया है वह वादी की पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 116 का ही भाग है और यह सारी भूमि एक ही खेत की है। लेकिन सेटलमेंट की गलती से वादी की 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 92 में नाप दी गई । इस भूमि पर पीढियों से वादी व उसके पिता का कब्जा काश्त थी सेटलमेंट की गलती से यह 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी चम्पालाल के नाम दर्ज कर दी गई जिसकी जानकारी उसे दिनांक 4–6–83 को नकल लेने पर प्राप्त हुई ।

अतः खसरा नंबर 92 के के साथ संलग्न नक्शा A B C D का22 बीघा 16 बिस्वा भूमि को वादी के नाम पर घोषणा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिए जावें । दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी की जमाबदी प्रस्तुत की गई । वादी का वाद बिना दस्तावेजी साक्ष्य के साबित नहीं किया जा सकता है । अपीलीय न्यायालय ने अपील को अन्दर मियाद मानते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दोनों पक्षों को सुनकर के निर्णय किए जाने के आदेश पारित किए है वे विधिसम्मत है । ऐसे आदेश से अपीलाण्ट के हक व अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी,बाडमेऱ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-7-2003 यथावत रखा जाता है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**चिरंजी लाल दायमा**)
सदस्य

(**वी.श्रीनिवास**)
अध्यक्ष